

श्रीमान जी,



निवेदन है कि श्रीमान् जिला कलक्टर एवं जिला पंजीयक, श्रीगंगानगर के आदेश क्रमांक:-पंजी/11/2338 दिनांक 23.11.2011 द्वारा श्रीमान् जी को बन्द वसीयत प्रार्थना पत्र एवं बन्द वसीयत खुलवाने बाबत् अधिकृत किया हुआ है। जिसकी पालना में उक्त बन्द वसीयत को खोलने की कार्यवाही की जा रही है।

2022/199

प्रार्थी हरबंस सिंह पुत्र सुरजा राम जाति जाट निवासी 1 ईईए तहसील पदमपुर व जिला श्रीगंगानगर ने प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, वारिस का प्रमाणपत्र, आई डी प्रूफ एवं मूल रसीद पेश कर निवेदन किया है कि मेरी माता तुलछी देवी पत्नी सुरजाराम जाति जाट निवासी 1 ईईए तहसील पदमपुर व जिला श्रीगंगानगर ने दिनांक 15.07.2016 को वसीयत कस्टडी में रखवाई थी। जिनका देहांत दिनांक 28.04.2020 को हो गया था। उनके द्वारा दिनांक 15.07.2016 को रखवाई गयी बंद वसीयत खोला जाकर निष्पादन की कार्यवाही हेतु निवेदन किया है।

प्रार्थी को गवाहान श्योप्रकाश सिहाग पुत्र बृजलाल एवं ओमप्रकाश पुत्र कालूराम ने पहचाना है। प्रार्थी एवं गवाहों की शिनाख्त अधिवक्ता श्री विक्रम बिश्नोई ने की है। अतः निर्धारित शुल्क जमा कर सील्ड पैकेट बंद लिफाफा खोले जाने हेतु प्रस्तुत है। अवलोकनार्थ एवं आदेशार्थ प्रस्तुत है।

जिला पंजीयक महोदय

 
7/16/22



all are ✓